



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229976
CG-DL-E-27092021-229976

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3637]
No. 3637]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/ आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ ASVINA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 3971(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तापुरामु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 (अनन्तापुरामु टाउन लिमिट में अर्बन लिंक रोड) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 9.200 तक के निर्माण (चौड़ीकरण/ चार लेन का बनाना आदि) प्रबंधन, प्रचलन और आरक्षण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तापुरामु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 (अनन्तापुरामु टाउन लिमिट में अर्बन लिंक रोड) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 9.200 तक भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉइंट कलेक्टर, अनन्तापुरामु	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH42 के कि.मी. 0 से 9.2 तक	आंध्र प्रदेश	अनन्तापुरामु	बुक्काराय समुद्रम	1 बुक्काराया समुद्रम
					रपथाडू	1 रपथाडू
					अनन्तापुरामु रूरल	1 उप्पारापल्ली
						2 पापमपेटा
						3 अनन्तापुरामु रूरल
						4 इतिकालापल्ली
					अनन्तापुरामु टाउन	1 अनन्तापुरामु टाउन

[फा. सं. RW/NH-12014/42/2020-AP/Zone-III]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 3971(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/four laning etc.,) maintenance, management and operation from Km. 0.000 to Km. 9.200 of the National Highway No.42 (Urban Link Road in Ananthapuramu Town Limits) in Ananthapuramu District in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 42 from Km. 0.000 to Km. 9.200 (Urban Link Road in Ananthapuramu Town Limits) in Ananthapuramu District in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	JOINT COLLECTOR, ANANTHAPURAMU	0KM To 9.2KM	ANDHRA PRADESH	Anantapuramu	Bukkaraya Samudram Rapthadu Ananthapuramu Rural Ananthapuramu Town	1 Bukkaraya Samudram 1 Rapthadu 1 Upparapalli 2 Papampeta 3 Ananthapuramu Rural 4 Itikalapalli 1 Ananthapuramu Town

[F. No. RW/NH-12014/42/2020-AP/Zone-III]

RAJESH GUPTA, Director